सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 2007/फाल्गुन 05, 1928
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 2007/PHALGUNA 05, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धि-पत्र

(फरवरी 2007 के 14वें दिन पारित)

मुम्बई, 22 फरवरी, 2007

सं. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी.—इस प्राधिकरण ने मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी में, दिनांक 28 सितंबर, 2006 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश तथा (संशोधित) दरमान, राजपत्र सं. 178 के द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि दिनांक 1 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित समेकित दरमान में कुछ टंकण त्रुटियाँ हो गई हैं। एमबीपीटी के दरमान में जहाज संबंधी प्रभार से संबद्ध अध्याय II में, प्रचलित धारा 2.12 को, निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"2.12 बोलार्ड पुल जाँच कराने के प्रभार

	तटीय जहाज	विदेशगामी जहाज
बोलार्ड पुल जाँच कराने के प्रभार	रु. 8790.76	अमरीकी डालर 321.30

टिप्पण:- जहाजों के आवागमन के लिए भाग 2.1(क) और भाग 2.1(ख) में विनिर्दिष्ट देय प्रभार अलग से लगाये जायेंगे।"

अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/06-असा.]

614 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.